SE Monitor

क्रमांक निस/प्रअ/3454004/2011

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

जल संसाधन भवन, तुलसी नगर– 462 003

दूरभाष 2552646, 2552878 फैक्स 2552406, Email No encwrbpl@mp.nic.in

भोपालः दिनांक 22-9-11 अगस्त, 2011

प्रति,

(1)समस्त मुख्य अभियंता,(वि/यां सहित)
———————कछार/परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
—————————— मध्यप्रदेश ।
(2) उपसंचालक, डाटा सेंटर, भोपाल ।

विषयः–रेडियल गेट, स्लूस गेट एवं नहर जल द्वारों का लगाया जाना ।

00

कार्यो के निरीक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि स्पिलवे गेट एवं बांधों के हेड स्लूस आदि का कार्य सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री (सिविल) के व्दारा विद्युत यांत्रिकी के अधिकारियों से परामर्श किये बिना एवं उनके निरीक्षण के बिना करवाये जा रहे हैं । ऐसा किया जाना आपत्तिजनक है । आपके कछार के अन्तर्गत किसी भी योजना के स्पिलवे द्वार एवं बांधों के स्लूस द्वार तथा नहरों के 0.35 वर्ग मीटर या इससे अधिक साइज के गेट जब भी लगाये जायें तो यह कार्य सहायक यंत्री वि/यां एवं कार्यपालन यंत्री वि/यां. के माध्यम से ही कराये जायें । ऐसे कार्यो के माप उनके व्दारा ही माप पुस्तिका में अभिलेखित किये जायेंगे तथा वे ही कार्य के त्रुटिहीन पूर्णता के लिये उत्तरदायी होंगे । सहायक यंत्री (सिविल) एवं कार्यपालन यंत्री केवल जलद्वारों के संचालन के विषय में माप पुस्तिका में प्रमाण–पत्र देंगे ।

यदि भविष्य में किसी योजना पर विद्युत एवं यांत्रिकी के सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के बिना स्पिलवे एवं नहर द्वार लगाये जाना पाया जाता है तो संबंधित कार्यपालन यंत्री (सिविल) ऐसी अनियमितता के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे ।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल